

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.शा.गो.के.सं.
लोक अदालत / 2021 / 158

दिनांक:- 10-11-2021

—: निर्णय :-



प्रार्थी श्री मनीराम पुत्र/पुत्री/पत्नी रामेश्वर
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दादरिया बणीरोतान पटवार मण्डल दादरिया बणीरोतान
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 272 में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/ज्मति मुनाराम अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से मनीराम अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का दादरिया बणीरोतान से करवाने पर पटवारी ने मुनाराम के
बजाय मनीराम करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में
मुनाराम के बजाय मनीराम करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
ग्राम दादरिया बणीरोतान के खाता संख्या 272 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/ज्मति
मुनाराम के स्थान पर सम्मानजनक रूप से मनीराम दर्ज
करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

10/11/21

उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)

चूरु

10/11/21
10.11.2021

